महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में 892.4 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 20 सितम्बर तक 892.4 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 9.3 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 916.1 मिली मीटर, पुसौर में 1062.1, खरसिया में 816.4, सारंगढ़ में 980.3, बरमकेला में 785.1, घरघोड़ा में 857.7, तमनार में 806.9, लैलूंगा में 912.1, धरमजयगढ़ में 958.2, सरिया में 772.3 तथा छाल तहसील में 949 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त पदों पर साक्षात्कार 22 सितम्बर को

रायगढ़। रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है। जिनका प्रतिनियुक्ति हेतु साक्षात्कार 22 सितम्बर 2021 को प्रातः10.30 बजे से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ में किया जाएगा। आवेदक दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

जिला पंचायत के सेवानिवृत्त तीन अधिकारियों को दी गई भावभीनी विदाई

रायगढ़। जिला पंचायत कार्यालय रायगढ़ में कार्यरत लेखा अधिकारी सी.डी.साहू, सहायक परियोजना अधिकारी उचित राम पटेल एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी डी.के.मकवाना के सेवानिवृत्ति पर सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल ने सभी अधिकारियों के स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की शुभकामनायें दी। सेवानिवृत्त अधिकारियों को समस्त जिला पंचायत परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी विदाई दी गई।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से रिक्त सीटों की पूर्ति करने के लिए 28 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से रिक्त सीटों की पूर्ति सत्र 2021-22 के लिए की जानी है। जिसमें बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार खरसिया में कक्षा 11 वीं में विज्ञान संकाय हेतु 12 रिक्त सीट (बालक), संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बायसी धरमजयगढ़ में कक्षा 8 वीं में 01 रिक्त सीट (बालक) तथा कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छर्राटांगर घरघोड़ा में कक्षा 7 वीं में 01 रिक्त सीट (बालिका) कुल 14 सीटों की पूर्ति चयन प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जाना है। जिस हेतु जिले के आदिवासी वर्ग के अभ्यर्थियों से पूर्ववत कक्षा की अंक सूची, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति आवेदन के साथ 28 सितम्बर 2021 तक सहायक आयुक्त आदिवासी कार्यालय आदिवासी विकास रायगढ़ में जमा कर सकते है।

वन अधिकार पत्र से मिल रहा आजीविका का साधन

» बिरहोर बाहुल्य खलबोरा गांव में एफआरए क्लस्टर बनाकर संचालित की जा रही आजीविका गतिविधियां

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वन संसाधनों के लोकतांत्रित प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन अधिकार अधिनियम को प्राथमिकता से क्रियान्वित किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को पात्रता अनुसार वन अधिकार पत्र दिए जा रहे है। वन अधिकार पत्र प्राप्त होने से पीढ़ियों से आजीविका हेतु उपभोग कर रहे है उन्हें भूमि का अधिकार मिला है तथा वन अधिकार पत्र पुस्तिका मिलने से विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जैसे भूमि समतलीकरण से उत्पादन में वृद्धि हुई है। समर्थन मूल्य पर धान बिक्री से आय में वृद्धि और ऋण मिलने से कृषि कार्य हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति हितग्राही कर पा रहे है। जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है एवं आय में वृद्धि से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।

रायगढ़ जिले में इसके तहत 7400 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 13 हजार 28 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 62 हजार 348 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 5 हजार 159 सामुदायिक वन अधिकार पत्र, 01 लाख 46 हजार 223 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 295 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है।

वन पट्टाधारियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु विभिन्न आजीविकावर्धक विभागों के कन्वर्जेन्स से संचालित कार्य के तहत महात्मा गांधी नरेगा एवं डीएमएफ के अभिसरण से चयनित एफआरए क्लस्टर में भूमि समतलीकरण एवं मेढ़ बंधान, चैन लिंक तार फेंसिंग एवं गेट निर्माण कार्य, वर्किंग शेड निर्माण, मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण, सिंचाई हेतु डबरी, कुआं निर्माण एवं बोर खनन, सोलर पम्प, ड्रिप स्प्रिंकलर सर्कुलेशन टैंक निर्माण, बकरी शेड, मुर्गी शेड, गाय कोठा निर्माण के द्वारा 110 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उक्त कार्यों हेतु मनरेगा एवं डीएमएफ द्वारा कुल 1.75 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

धरमजयगढ़ विकासखण्ड के विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बिरहोर बाहुल्य ग्राम खलबोरा के 38 बिरहोर परिवारों में से 21 परिवार को कुल 20.373 हेक्टेयर भूमि का व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। उक्त 21 पट्टा धारकों में से 11 पट्टा धारकों की भूमि को एफआरए क्लस्टर के रूप में चयनित कर विभिन्न विभागों के कन्वर्जेन्स से एफआरए क्लस्टर की सुरक्षा हेतु चैन लिंक तार फैंसिंग तथा गेट का निर्माण किया गया है। चयनित क्लस्टर भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ने हेतु भूमि समतलीकरण/मेढ़ बंधान, 7 डबरी निर्माण, 4 बोरवेल तथा 5 सोलर पम्प लगाया गया है। उक्त क्लस्टर में मुख्य रूप से धान की खेती के अतिरिक्त कोदो, उड़द, मूंगफली, मक्का तथा झुनगा आदि की खेती भी की जा रही है। ग्राम खलबोरा के हितग्राहियों को कृषि कार्य हेतु डीएमएफ मद से ट्रैक्टर प्रदान किया गया है। उक्त क्लस्टर में 2 सामुदायिक मुर्गी शेड का भी निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से 9 अन्य हितग्राहियों की भूमि की समतलीकरण तथा एक गाय शेड का निर्माण किया गया है। इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि वितरण एवं विभिन्न विभागों के सम्मिलित प्रयास से बिरहोर जनजाति के हितग्राही आजीविका मूलक गतिविधियों से जुड़ रहे है।

अमानक उर्वरक विक्रय करने वाले 9 कंपनियों पर हुई कार्यवाही, तत्काल विक्रय पर प्रतिबंध

रायगढ़। जिले के कृषकों को उच्च गुणवत्ता का उर्वरक उपलब्ध हो इस उद्देश्य से जिला रायगढ़ के अंतर्गत निजी (फुटकर/थोक)/सहकारी संस्था के उर्वरक विक्रेताओं से जिले के उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा उर्वरकों की कुल 121 नमूना विश्लेषण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य के प्रयोग शालाओं में अब तक भेजा गया है। जिसमें से 9 उर्वरक कंपनी चम्बल फर्टिलाइजर एवं केमिकलर्स लिमि., बी.ई.सी.फर्टिलाईजर लिमिटेड, ओस्टवाल फास्केम लिमिटेड, कृष्णा फास्फेट लिमिटेड, कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड, अरिहंत फर्टिलाईजर एवं केमिकल लिमिटेड, एग्रोफॉस इंडिया लिमिटेड, खेतान केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड एवं इंडियन फार्मस फर्टिलाइजर को.लिमिटेड से 17 उर्वरक नमूना गुणवत्ता विहीन पाया गया एवं प्रयोग शाला के द्वारा अमानक घोषित किए जाने से उप संचालक कृषि, रायगढ़ के द्वारा उर्वरक (नियंत्रण)आदेश, 1985 के तहत कार्यवाही करते हुए तत्काल विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले के उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा समस्त उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सतत् निगरानी किया जा रहा है। अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है।

शहर की सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दे संबंधित विभाग-कलेक्टर

» कलेक्टर सिंह ने ली पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री सड़क, नगर निगम एनएच व जिंदल के अधिकारियों की बैठक

रायगढ़। नगर निगम सहित पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री सड़क और जिंदल सभी विभागों द्वारा निर्मित नगर निगम क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द करें, ताकि शहरवासियों और दूसरे शहरों से आने जाने वालों को आवागमन में परेशानी ना हो। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री सड़क एवं जिंदल अधिकारियों की बैठक में कही।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र की कुछ सड़कें जर्जर हो गयी हैं। जिन्हें तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। इसे देखते हुए शहर के सभी सड़कें चाहे वह नगर निगम की हो या पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाय, एनएच या फिर उद्योग सभी विभाग अपनी-अपनी सड़कों का जल्द से जल्द मरम्मत कराएं। बैठक में कलेक्टर सिंह ने रायगढ़ शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जर्जर सड़कों की निर्माण एजेंसी के आधार पर वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसी के साथ ही उन सभी उद्योग प्रतिनिधियों को जिन्हें सड़कों की मरम्मत का जिम्मा सौंपा गया है, सभी को जर्जर सड़कों के मरम्मत की व्यवस्था तत्काल करने के निर्देश दिए। जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो। इस दौरान आयुक्त नगर निगम एस.जयवर्धन, ईई पीडब्लयू डी खाम्बरा, ईई नेशनल हाईवे ध्रुव, ईई पीएमजीएसवाय मिंज, जीएम डीआईसी उईके, ईई नगर निगम उपाध्याय सहित अन्य विभागों व संबंधित उद्योगों के अधिकारी उपस्थित रहे।

22 सितंबर तक सस्ती दवाई संचालन टेंडर बढ़ाने के निर्देश

» रायगढ़ में 2 तथा अन्य सभी नगरीय निकायों में एक-एक सस्ती दवा दुकान होगी संचालित

» कलेक्टर भीम सिंह ने ली अर्बन पब्लिक सोसाइटी एवं मेडिकल स्टोर संचालकों की बैठक

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने अर्बन पब्लिक सोसाइटी एवं जिले के मेडिकल स्टोर संचालकों की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ली। इस दौरान सस्ती दवाई दुकान खोलने संबंधित नियम और शर्तों की जानकारी दी गई। मेडिकल स्टोर संचालक संघ की मांग पर कलेक्टर भीम सिंह ने सस्ती दवाई दुकान टेंडर की अंतिम तिथि 2 दिन यानी 22 सितंबर तक बढ़ाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने सस्ती दवाई दुकान के संबंध में उपस्थित मेडिकल स्टोर संचालकों को शासन की महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताते हुये कहा कि सस्ती दवाई दुकान में बहुत ही कम दर पर नगर निगम क्षेत्र में दो और जिले के नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद में एक-एक दुकानें संचालित की जाएगी। योजना के नियमों के अनुसार जरूरतमंद लोगों को प्रिंट रेट में दवाई 50 प्रतिशत से ज्यादा छूट देते हुए दवाइयां बिक्री की जाएगी। जितना छूट मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा दी जाएगी, उन्हें नियमानुसार टेंडर दिया जाएगा। गाइड लाइन के अनुसार वर्तमान में अर्बन पब्लिक सोसाइटी द्वारा मेडिकल स्टोर संचालकों को 15 साल की लीज पर अनुबंध किया जाएगा। इसमें जरूरतमंद लोगों सहित सरकारी अस्पतालों, शहर में संचालित मेडिकल मोबाइल यूनिट में ब्रांडेड दवाइयों की सप्लाई सस्ती दवाई दुकान से की जाएगी। वर्तमान में शासन द्वारा 20 ब्रांडेड जेनेरिक दवाई कंपनी का चिन्हांकन शासन द्वारा किया गया है। इन्हीं कंपनियों की दवाइयां सस्ती दवाई दुकान में बिक्री की जाएगी। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर संचालक वन विभाग के संजीवनी के प्रोडक्ट और कई ऐसे जरूरत प्रोडक्ट भी सस्ते दवाई दुकान बिक्री कर सकेंगे। मेडिकल स्टोर संचालक संघ की मांग पर कलेक्टर सिंह ने टेंडर भरने की अंतिम तारीख 2 दिनों यानी 22 सितंबर तक बढ़ाने के निर्देश नगर निगम कमिश्नर एस.जयवर्धन को दिए। इससे पूर्व नगर निगम कमिश्नर जयवर्धन ने योजना के संबंध में उपस्थित मेडिकल स्टोर संचालकों को पूरी जानकारी दी। बैठक में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ.एस.एन केशरी सहित निगम के अधिकारी और जिले के मेडिकल स्टोर संचालक संघ के पदाधिकारी और संचालक उपस्थित थे।

दो सहेलियों की बांध मे डूबने से मौत

रामानुजगंज (आरएनएस)। रामानुजगंज रामचंद्रपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम कुशफर में रविवार की सुबह 11 बजे के करीब गांव के ही पुराने बांध में नहाने गई दो मासूम सहेलियो कि नहाने के दौरान गहराई में चले जाने से मौत हो गई। घटना पर सनावल थाने में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करा बच्चियों के शव परिजनों को सौंप दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार के सुबह 11 बजे के करीब ग्राम पंचायत उस कुशफर की उर्मिला पिता जय सिंह उम्र 12 वर्ष, अपनी सहेली रिंका का पिता दयाशंकर उम्र 13 वर्ष के साथ घर से करीब आधा किलोमटर दूरी पर स्थित पुराने बांध में नहाने गई इसी दौरान नहाते नहाते दोनों सहेलियां गहराई में चली गई जिससे दोनों की मौत हो गई इस दौरान वहीं पर नहा रहे अन्य बच्चों के द्वारा इसकी सूचना परिजनों को दी गई जिसके बाद तत्काल परिजन एवं ग्रामवासी मौके पर पहुंचे एवं गांव की स्थानीय तेराक की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला जा सका घटना की सूचना पर सनावल पुलिस मौके पर पहुंची जिसके द्वारा घटना पर मर्ग कायम कर रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार की शाम को ही शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस हादसे के बाद एक ओर जहां पूरा परिवार मातम में है वहीं गांव में मातम पसर गया है।

राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम को जब घटना की जानकारी मिली तो शोक संतप्त परिवार को ढाँढस पहुंचाने कुशफर पहुंचे।

प्रदेश में सहकारी कानूनों का हुआ सरलीकरण - मुख्यमंत्री

» बेमेतरा में 96 लाख रूपए की लागत से सहकारी बैंक के नए भवन की घोषणा

» देवरबीजा बैंक शाखा में एटीएम का शुभारंभ

» मुख्यमंत्री शामिल हुए सेलूद में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेष बघेल आज दुर्ग जिले के सेलूद में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में बेमेतरा में सहकारी बैंक के नए भवन की घोषणा की। यह भवन 96 लाख की लागत से बनाया जाएगा। उन्होंने सहकारिता सम्मेलन में कहा कि सहकारिता कानून इतने क्लिष्ट होते थे कि आम जनता को समझ में नहीं आते थे जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती थी। हमने सरकार में आते ही इन कानूनों को सरल करने के लिए कहा ताकि आम जनता को भी यह आसानी से समझ में आएं और उनके लिए सहकारिता से लाभ उठाना आसान हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसने सहकारिता के महत्व को समझा यहां सोसाइटी के माध्यम से धान की खरीदी आरंभ हुई जिसके लिए वासुदेव चंद्राकर जैसे पुरखों का बहुत बड़ा योगदान है। हमने किसानों के लिए न केवल कर्ज माफी की अपितु साथ ही सिंचाई कर भी माफ किया, इसके साथ ही स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ किया। भूमिहीन कृषकों के लिए योजना षुरू की गई है। उन्होंने कहा कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से हम तेजी से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में गोबर से बिजली बनाने के संबंध में भी विचार हो रहा है। गौठान के गोबर की बिजली से गांव की स्ट्रीट लाइट, हालर मिल आदि इसी बिजली से चल सकेगी। उन्होंने कहा कि गौठान आत्मनिर्भर ग्रामीण आजीविका केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार की नई संभावनाएं विकसित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने धान खरीदी केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया गया ताकि जनता को किसी तरह की असुविधा न हो। पहले 2000 धान खरीदी केंद्र थे अब इनकी संख्या बढ़कर 2300 हो गई है।

मिर्ची की खेती से महिला समूहों ने कमाएं 12.28 लाख रुपये

रायगढ़। गांव की महिलायें बिहान सहयोग समूह से जुड़कर जागरूक होने के साथ-साथ परिवार को संबल बनाने में भागीदारी निभा रही है। जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा है। लैलूंगा महिला संघ ने अपने संगठन से जुड़े परिवारों को विभिन्न आजीविका गतिविधि में जोड़ने की योजना बनाई, जिसमें सब्जी उत्पादन, पशु पालन, मशरूम उत्पादन एवं अन्य गतिविधि को भी शामिल करने का फैसला किया। महिला संगठन ने अपनी सोच को मंजिल तक पहुंचाने के लिए कृषि उत्पादन संघ निर्माण करने का निर्णय लिया एवं इस संगठन के माध्यम से किसानों को गुणवत्ता बीज, उन्नत विधि में खेती करने की पद्धति के बारे में प्रशिक्षण, संग्रहण केन्द्र, बाजार सेवा उपलब्ध करने की योजना बनाई गई।

प्रदान संस्था के सहयोग से महिला संगठन में जुड़े कृषि सखी को इस वर्ष की खरीफ की तैयारी के लिए फरवरी माह मे कृषि प्रशिक्षण दिया गया। पिछले 2 महीनों में चयनित कृषि उद्यमी और कृषि सखी की मदद से 19 गांवों के 386 परिवारों ने मिर्च नर्सरी सफलता पूर्वक तैयार की गई।

कृषि सखी के सहयोग से सीएलएफ कार्यालय में मिर्ची लगाने वाले परिवारों की संयुक्त बैठक हुई। मिर्च उत्पादन की बिक्री पर चर्चा और अंतिम रूप देने के बाद कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत पास के बाजारों में और 70 प्रतिशत मात्रा संयुक्त रूप से बाजार में बेचने का निर्णय लिया गया। मिर्च की फसल को रायगढ़, झारसुगुड़ा और राउरकेला मंडी में अब तक दो संग्रहण केन्द्रों से 12.6 मीट्रिक टन और 32.9 मीट्रिक टन उपज 18 रुपये, 28 रूपए एवं 35 रूपए की दर से मंडियों में बेचा गया है। अभी तक महिलाओं को कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से मिर्ची फसल से कुल 12 लाख 28 हजार रुपये प्राप्त हुआ है। कोरोना लॉक डाउन की स्थिति में सभी 306 महिला किसानों ने 2 लाख 30 हजार रुपये कृषि सखी के माध्यम से जमा किया। मई के महीने में लॉकडाउन के दौरान इस राशि से सीएलएफ ने संबंधित परिवारों को बीज, कीटनाशक और उर्वरक खरीद कर डोर-टू-डोर डिलीवरी सुनिश्चित की।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480